प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण सं. 175/ 2025

रतनलाल, पिता- किसनो, आयु- लगभग 55 वर्ष, निवासी- ग्राम- पोटा, तहसील मलखारोदा, जिला- जांजगीर- चांपा, अब जिला- सक्ति, छ.ग.

...... आवेदक

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- कलेक्टर, जिला- जांजगीर- चांपा अब सक्ति, छ.ग.

2 - बलराम सिंह कंवर, पिता- श्री राधे सिंह, आयु- लगभग 30 वर्ष, निवासी- ग्राम- पोटा, तहसील मलखारोदा, जिला- जांजगीर- चांपा अब सक्ति, छ.ग.

...... अनावेदक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(वाद-शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)

आवेदक की ओर से	:	श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता
अनावेदक/राज्य की ओर से	:	श्री अंकुर कश्यप, उप शासकीय अधिवक्ता

<u>माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश</u>

<u>पीठ पर आदेश</u>

<u>21.07.2025</u>

1. इस सिविल पुनरीक्षण के माध्यम से, आवेदक ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना की हैः-

"अतः आवेदक विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि माननीय न्यायालय

द्वारा कृपया संपूर्ण अभिलेख को आहूत किया जाए और व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ वर्ग, मलखरोदा, जिला- जांजगीर- चांपा द्वारा व्यवहार वाद सं. 18 **A**/2020 में पारित 28/4/25 दिनांकित आदेश को अपास्त किया जाए और प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत वाद को न्याय के हित में कृपया वाद व्यय के साथ खारिज किया जाए।"

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि आवेदक रतनलाल, छत्तीसगढ़ के जंजगीर-चांपा जिले के ग्राम पोटा का विधिवत् नियुक्त कोटवार है और 2001 से एक एकड़ सरकारी सेवा भूमि के वैध और निरंतर कब्जे में है, जिसमें खसरा सं. 128/1,558,598,637 और 640 सम्मिलित हैं, जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 के अनुसार राजस्व अभिलेख के स्तंभ (कॉलम) 23 में उसके नाम पर दर्ज हैं। 2000 में पूर्व कोटवार बेदराम के इस्तीफे के बाद भूमि उसे हस्तांतरित कर दी गई थी। तत्पश्चात् बेदराम और उसके पुत्र चंद्रिका सिंह ने कई रिट याचिकाओं के माध्यम से आवेदक के कब्जे को चुनौती दी, जिनमें से सभी को छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक के वैध कब्जे की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया था। 2012 में व्यवहार वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के बावजूद, चंद्रिका सिंह द्वारा बेदराम के जीवनकाल के दौरान या उसके बाद ऐसा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया था। 2025 में, बेदराम के भाई के वंशज, एक दूर के रिश्तेदार, अनावेदक सं. 2 ने कथित पैतृक कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा करते हुए नामांतरण कार्यवाही शुरू की। उप-मंडल अधिकारी ने पिछले न्यायिक निर्णयों और राजस्व प्रविष्टियों का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया। अनावेदक सं. 2 ने तब अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए अधिकार की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया। आवेदक ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सिविल प्रक्रिया संहिता ') के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद हेतुक कारण के अभाव, परिसीमा, न्यायिक आधार, धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस की गैर- तामीली और प्रक्रिया के दुरुपयोग के आधार पर वादपत्र को अस्वीकार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करने के लिए एक आवेदन दायर किया। यद्यपि, विचारण न्यायालय ने 28 अप्रैल, 2025 को उठाए गए प्रमुख विधिक विवाद्यक पर विचार किए बिना आवेदन को खारिज कर दिया। मामला अब आगे की कार्यवाही के लिए लंबित है।

3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित 28.04.2025 दिनांकित आक्षेपित आदेश, विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है, भौतिक अनियमितता से ग्रस्त है, और अपास्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदक के सुस्थापित आवेदन को उसमें लिए गए पर्याप्त विधिक आधारों पर विचार किए बिना खारिज कर दिया। यह निवेदन किया गया है कि वादपत्र आदेश 7 नियम 11 (क) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वाद हेतुक किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है। वाद भूमि सरकारी सेवा भूमि है जो याचिकाकर्ता को उसके कोटवार के रूप में उसकी आधिकारिक क्षमता में आवंटित की गई है, और उत्तरवादी वाद संपत्ति के लिए कोई स्वामित्व का दस्तावेज या विधिक अधिकार प्रस्तुत करने में विफल रहा है। ऐतिहासिक अधिकार का अस्पष्ट और अप्रमाणित दावा अप्रासंगिक है और घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए वाद को स्थिर रखने के लिए अपर्याप्त है। आगे यह निवेदन किया गया है कि वाद निम्नलिखित आधारों पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) के तहत विधि द्वारा वर्जित हैः **(i)** सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत कोई नोटिस छत्तीसगढ़ राज्य पर तामील नहीं की गई है, जो एक आवश्यक पक्ष है, जिससे वाद शुरू से ही शून्य हो जाता है। **(ii)** वाद परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 58 के तहत परिसीमा द्वारा वर्जित है, क्योंकि रिट अपील सं. 82/08 को खारिज करने के बाद वाद करने का अधिकार, यदि कोई हो तो, 2012 में उपार्जित होता था परन्तु वर्तमान वाद बिना किसी स्पष्टीकरण के 11 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है; और **(iii)** वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत न्यायालय द्वारा और वर्जित कर दिया गया है क्योंकि उसी वाद की भूमि के संबंध में विवाद्यक पर पहले निर्णय लिया गया था और अंत में माननीय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 5202/2005 और रिट याचिका सं. 82/2008 में निर्णय लिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि अनावेदकों का दावा परेशान करने वाला, तुच्छ और विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसका उद्देश्य केवल याचिकाकर्ता को परेशान करना है, जो 2001 से वाद की भूमि पर शांतिपूर्ण और निरंतर काबीज में है। इसके अलावा, अनावेदक के पास सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह न तो प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं और न ही वाद भूमि पर उसका कोई उत्तराधिकार या स्वामित्व-आधारित दावा है। कोटवार के रूप में उसकी नियुक्ति से आने वाले आवेदक के वैध अधिकार की पुष्टि बार-बार न्यायिक आदेशों द्वारा की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त विधिक प्रतिबंधों पर विचार में विफल रहकर अधिकारिता संबंधित एक गंभीर त्रुटि की है और केवल इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार करने के लिए गलत कार्यवाही की है कि आदेश 7 नियम 11 के तहत स्वामित्व के दस्तावेजों की कमी पर्याप्त नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, अनावेदकों के वाद को खारिज करते हुए, 28.04.2025 दिनांकित आदेश को अपास्त करने और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। अपने निवेदनों को बल देने हेतु उन्होंने **2024 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3844 में** प्रतिवेदित **श्री मुकुंद भवन न्यास व अन्य बनाम श्रीमंत छत्रपति उदयन राजे प्रतापसिंह महाराज भोंसले व एक अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा दिए गए आदेश का अवलंब लिया है।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों का विरोध करते हैं।

5. मैंने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और इस सिविल पुनरीक्षण के साथ दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6.सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर विशिष्ट और पर्याप्त विधिक आपत्तियां उठाई हैं, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि वादपत्र वाद हेतुक का खुलासा नहीं करता है, परिसीमा द्वारा वर्जित है, न्यायिक आधार पर, और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत अनिवार्य नोटिस के अभाव में। यह आगे स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने एक स्पष्ट तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के साथ आवेदन का समर्थन किया है, जिसमें पिछले वाद का इतिहास, सरकारी सेवा भूमि के रूप में भूमि का वर्गीकरण और वादी के पक्ष में स्वामित्व के दस्तावेजों का अभाव सम्मिलित हैं। यद्यपि, विद्वान विचारण न्यायालय इन आधारों की उनके उचित विधिक संदर्भ में जांच करने में विफल रहा है और आवेदन को पूरी तरह से एक संकीर्ण व्याख्या पर खारिज कर दिया है, जिससे अभिलेख पर दर्शित स्पष्ट त्रुटि हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभिवचनों, आक्षेपित आदेश और आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर, इस न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 ?के तहत आवेदन को खारिज करने वाले विद्वान? विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अधिकारिता संबंधी त्रुटि या भौतिक अनियमितता नहीं मिलती है।

8. यह सुस्थापित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को बचाव या वाददित तथ्यों पर विचार किए बिना, केवल वादपत्र में किए गए कथनों की जांच करने की आवश्यकता होती है।

9. **एम. श्रीनिवासुलु बनाम एम. मुनुसामी, ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 2349** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने दोहराया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब वादपत्र प्रथम दृष्टया

वाद हेतुक का खुलासा नहीं करती है या विधि द्वारा वर्जित है", और "विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्नों को प्रारंभ में ही निर्णीत नहीं किया जा सकता है।"

10. इसके अलावा, पोपट और कोटेचा संपत्ति बनाम भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ, (2005) 7 एस. सी. सी. 510 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय वादपत्र में दिए गए कथनों से परे नहीं जा सकता है।"

11. **इसके अलावा, कमला व अन्य बनाम के. टी. ईश्वर सा व अन्य, (2008) 12 एस. सी. सी. 661, के मामले में** सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को प्रारंभिक स्तर पर एक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और किसी वादपत्र को तब तक बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि वाद स्पष्ट रूप से वादपत्र से ही प्रथम दृष्टया वर्जित न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हाल ही में, **14.07.2025** को निर्णीत **सिविल अपील सं. 7743/2025, पाण्डुरंगन बनाम टी. जयराम चेट्टियार व एक अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "8. **श्रीहरि हनुमंतस टोटाला बनाम हेमंत विट्ठल कामत व अन्य, (2021) 9 एस. सी. 99** के प्रकरण में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायिक अभिवचन का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII**, नियम 11 के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:
>
> > "25. उपरोक्त प्राधिकारों के परिशीलन पर, आदेश 7 नियम 11 (घ) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा

सकता हैः

25.1. किसी वादपत्र को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए कि वादपत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है, केवल वादपत्र में किए गए कथनों को संदर्भित करना होगा।

25.2. वाद में प्रतिवादी द्वारा किए गए बचाव पर आवेदन के गुण-दोष निर्णीत करते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए।

25.3. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी वाद को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित किया गया है, यह आवश्यक है कि (i) "पिछले वाद" निर्णित हो, (ii) बाद के वाद के विवाद्यक सीधे और काफी हद तक पूर्व के वाद में भी थे; iii) पहला वाद उन्हीं पक्षों या उन पक्षों के मध्य था जिनके माध्यम से वे दावा करते हैं, जो एक ही शीर्षक के तहत वाद कर रहे थे; और (iv) यह कि इन विवाद्यक पर निर्णय लिया गया था और अंत में बाद के वाद की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया।

25.4. चूँकि न्यायिक अभिवचन के निर्णयन के लिए "पिछले वादपत्र " में अभिवचनों, विवाद्यक और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा अभिवाचन आदेश 7 नियम 11 (घ) के दायरे से बाहर होगी, जहां केवल वादपत्र में दिए गए कथनों पर ही विचार करना होगा।

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस बात से संबंधित विवाद्यक कि एक- पक्षीय डिक्री साठगांठ से प्राप्त की गई है या, जैसा कि अधिकथित है, बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कपट किया है या अपीलार्थी वास्तविक क्रेता है या नहीं, का विस्तार में परीक्षण करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी परिस्थितियों में पिछली डिक्री और दूसरे वाद पर इसके प्रभाव के गहन परीक्षण की आवश्यकता होती है। वादपत्र की अस्वीकृति की मांग करने वाले आवेदन में किए गए दावों पर ही न्यायिक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा वी. राजेश्वरी बनाम टी. सी. सरवनबावा, (2004) 1 एस. सी. सी. 551 में अभिनिर्धारित किया गया है, कार्रवाई के कारणों में समानता की पहचान करना विचारण का विषय होना चाहिए जहां पहले वाद के दस्तावेजों का परिशीलन और विश्लेषण किया जाता है। पूर्व न्याय (रेस जुडिकाटा) अटकलबाजी या अनुमान का विषय नहीं हो सकता है। केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद, सिविल अपील सं. 5841/2003 में, इस न्यायालय ने वादपत्र खारिज किए जाने की मांग करने वाले आवेदनों में उठाए जा रहे पूर्व न्याय के अभिवाक् पर कड़ा रुख अपनाते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "5. जहाँ तक सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** के नियम 11 के दायरे का संबंध है, विधि सुस्थापित है। न्यायालय केवल वादपत्र में प्रस्तुत कथनों और वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही विचार कर सकता है। इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय प्रतिवादी के बचाव और दस्तावेज जिनका उसके द्वारा अवलंब लिया गया है पर गौर नहीं किया जा सकता है।

6. इसलिए, हमारी दृष्टि में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** के नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर न्यायिक निर्णय का विवाद्यक तय नहीं किया जा सकता था। इसका कारण यह है कि इस विवाद्यक पर निर्णय में पहले के वाद में अभिवचनों, विचारण न्यायालय के निर्णय और अपीली न्यायालयों के निर्णय पर विचार करना सम्मिलित है। अतः हम यह स्पष्ट करते हैं कि न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही इस स्तर पर खण्ड पीठ अपीलार्थी द्वारा उठाए गए न्यायिक अभिवाक् पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सकती थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	10. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट है कि वादपत्र में अपीलार्थी द्वारा स्थापित प्रकरण पर न तो विचार किया गया है और न ही उसका विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने वादी की कार्रवाई की वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया कि "उसने ओ. एस. सं. 298/96 में पारित डिक्री के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई"। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उठाया गया कपट का अभिवाक् स्वीकार्य नहीं है। मामले पर यह दृष्टिकोण अपनाते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII**, नियम 11 की प्रयोज्यता पर अपीलार्थी की आपत्ति को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर	

	दिया गया कि;	

"12. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस तरह के प्रश्न को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। उनके तर्क के समर्थन में उन्होंने हमारे माननीय न्यायालय का निर्णय 2009 (4) एल. डब्ल्यू. 432 और 2007 ए. एल. डब्ल्यू. 580,2000 (3) एम. एल. जे. 342,2002 (1) एल. डब्ल्यू. 398 प्रस्तुत किया है। परन्तु वे न्यायालय शुल्क से संबंधित हैं। परन्तु जहां तक प्रकरण की बात है, यह न्यायालय शुल्क के बारे में नहीं है। अतः उपरोक्त उद्धरण उपरोक्त कारणों और व्याख्याओं के लिए इस वाद पर लागू नहीं होते हैं। याचिका स्वीकार की जाती है। कोई वाद व्यय नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हम विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और तर्क से सहमत नहीं हैं।अनुच्छेद 227 के तहत अपीलार्थी के पुनरीक्षण को इसी तरह उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. यद्यपि हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस प्रश्न पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है कि क्या 29.07.1997 दिनांकित ओ. एस. नं. 298/96 में एकपक्षीय डिक्री वर्तमान वाद को वर्जित कर पूर्व न्याय डिक्री के रूप में काम करेगी या नहीं, हम मानते हैं कि इस प्रश्न की जांच सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII**, नियम 11 के तहत निर्णीत

नहीं की जा सकती थी, विशेष रूप से अपीलार्थी द्वारा एकपक्षीय डिक्री के बारे में वादपत्र में किए गए विशिष्ट कथनों, उक्त संव्यवहार के आसपास की परिस्थितियों तथा घोषणा और परिणामी अनुतोष के लिए वाद में किए गए प्रार्थना के संदर्भ में।

13. ऊपर बताए गए कारणों से हम अपील को स्वीकार करते हैं, 2014 के सी. आर. पी. (पी. डी.) सं. 1454 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20.03.2019 दिनांकित आदेश को अपास्त करते हैं और जिला मुन्सिफ सह न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 2009 के ओ. एस. सं. 60 के वाद को उसके मूल संख्या पर लौटाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाद वर्ष 2009 का है, वाद के शीघ्र निपटारे के लिए एक निर्देश होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. समापन करते हुए, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं की है और प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए पूर्व न्याय से संबंधित आधार सहित सभी आधारों को अंतिम निर्धारण के लिए खुला रखा गया है।"

13. यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए, केवल वादपत्र में किए गए कथनों पर विचार करने की आवश्यकता है। लिखित कथन या आवेदन में प्रतिवादी द्वारा लिए गए बचाव को उस स्तर पर ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। राज्य को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस जारी न करना और वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित करना विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत एक आवेदन पर निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं। विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न होने के कारण, उन्हें अभिलेख पर पूरी सामग्री और साक्ष्य पर

विचार करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा निर्णयन की आवश्यकता होती है। इसी तरह, वाद हेतुक तथ्यों का एक समूह है जो विचारण के दौरान उचित निर्णय की आवश्यकता बनाता है न कि प्रारंभिक स्तर पर। इसके अलावा, यह सुस्थापित है कि पूर्व न्याय के प्रश्न पर विचार करने के लिए अभिवचनों, विवाद्यक को तैयार करने और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए, जो वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है।

14. एम. श्रीनीवासुलु (पूर्वोक्त), पोपट एवं कोटेचा संपत्ति (पूर्वोक्त), कमला (पूर्वोक्त) तथा पाण्डुरंगन (पूर्वोक्त) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा प्रतिवादित विधि के आलोक में, जहां यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर निर्णय लेते समय, केवल वादपत्र में किए गए अभिकथनों पर विचार करने की आवश्यकता है और लिखित कथन या किसी भी आवेदन में उठाया गया बचाव उस स्तर पर अप्रासंगिक है, और इसके अलावा, न्यायपालिका के प्रश्न के लिए अभिवचन, विवाद्यक को तैयार करने और साक्ष्य के बाद उचित निर्णय की आवश्यकता है, यह न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करने में विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं पाता है।

15. वर्तमान प्रकरण में, पुनरीक्षणार्थी द्वारा उठाए गए आधार, जैसे कि स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की कमी, परिसीमा द्वारा वर्जन, पूर्व न्याय, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस की अनुपस्थिति, और सुने जाने के अधिकार का अभाव, को तथ्यात्मक निर्णयन की आवश्यकता होती है और केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन की सामग्री के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना, अपने आप में, आदेश 7 नियम 11 के तहत एक वैध आधार नहीं है, और वाद को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी वादी के अधिकार या हक पर विवाद करता है।

16. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, आवेदक द्वारा लिया गया **श्री मुकुल भवन न्यास (पूर्वोक्त)** के मामले की निर्णय विधि का अवलंब आवेदक के लिए सहायक नहीं है क्योंकि वह वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है।

17. उपरोक्त सुस्थापित विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि 28.04.2015 दिनांकित आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता, अनुचितता या विकृति से ग्रस्त नहीं है, अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यक नहीं है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अभिवचनों, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क- वितर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है, प्रारंभिक रूप से पूर्व न्याय के आधार पर और इसलिए भी क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा पिछली न्यायिक कार्यवाहियों में पहले ही निर्णीत अनेक विवादित तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न उठाता है।

19. तदानुसार, प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण को खारिज किया जाता है। यद्यपि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी को प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा, और विचारण न्यायालय विधि के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। वाद-व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur